

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलेक्टर, करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठारसीन अधिकारी - रेखा गुजर, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर 420/2025 प्रार्थनापत्र

01 श्री हिम्मत लाल पुत्र देवीलाल खटीक आयु वयस्क निवासी- मोटा का खेडा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

— प्रार्थी

01. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहव, करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

— विपक्षी

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा- 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित :-

1. श्री मुकेश सिंह तवर
2. परोकार सरकार

— अधिवक्ता प्रार्थी

— उपस्थित

दिनांक- 17.11.2025

:: निर्णय ::

प्रार्थी के द्वारा विपक्षी के विरुद्ध एक आवेदनपत्र अन्तर्गत धारा- 251-ए राज0 टिनेन्सी एक्ट के तहत प्रस्तुत कर सरहद कुवार पटवार हल्का मोटा का खेडा भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र चिताम्बा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) में प्रार्थी के खातेदारी हक अधिकार की कृषि आराजियात जिसके आराजी के खाता संख्या 166 के आराजी नम्बर 155 रकबा 0.3288 हैक्टयर भूमि स्थित है। जो कि प्रार्थी के नाम पर खातेदारी हक अधिकार से दर्ज होकर प्रार्थी का कब्जा एवं उपयोग उपभोग चला आ रहा है। प्रार्थी की उक्त आराजी में आने जाने का एकमात्र रास्ता जो कि जो कि सरकारी रास्ता आराजी नम्बर 165 जो कि बिलानाम होकर डामरीकरण सड़क के आराजी नम्बर 166 से होकर विपक्षी की बिलानाम आराजी नम्बर 165 से होकर अपनी प्रार्थनापत्र की चरण संख्या 01 में वर्णित आराजी नम्बर 155 में आता जाता जाता है। जिसमें से रास्ते को दर्ज कराया जावे।


प्रार्थी का आवेदन प्रस्तुत होने पर पंजीबद्ध किया गया व विपक्षीगण को सम्मन नोटिस तामिल होने के पश्चात प्रकरण में मौके का निरीक्षण कर प्रार्थी की आराजियात पर प्रस्तावित रास्ता है अथवा नहीं या वैकल्पिक रास्ता भी उपलब्ध है या नहीं, इस तथ्यात्मक रिपोर्ट तहसीलदार करेड़ा से मंगवाई जाने की आदेशिका पारित की।

प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा आवेदनपत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए राजस्व अभिलेख, नक्शा ट्रेस एवं तहसीलदार द्वारा तैयार कराई मौका निरीक्षण रिपोर्ट की ओर इस न्यायालय का ध्यान आकर्षित कर प्रस्तावित रास्ता के अतिरिक्त अन्य कोई रास्ता प्रार्थी को आराजियात पर आने जाने, संज बैलगाडी एवं कृषि उपकरण लाने ले जाने के कृषि कार्य का कोई वैकल्पिक रास्ता न होना रिपोर्ट से दृष्टिगत होता है। तहसीलदार द्वारा प्राप्त मौका रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी के नाम पर सरहद कुवार पटवार हल्का मोटा का खेडा भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र चिताम्बा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) में आराजी नम्बर आराजी नम्बर 155 रकबा 0.3288 हैक्टयर भूमि दर्ज रेकार्ड है। आराजी नम्बर 165 विपक्षी के नाम दर्ज रेकार्ड है, मौके पर वर्तमान में उक्त आराजियात पर आने जाने हेतु अन्य कोई रास्ता भी नहीं है। मौका रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता डामरीकरण सड़क आराजी नम्बर 166 से बिलानाम आराजी नम्बर 165 में से जो कि निकटतम रास्ता है। रास्ते के रूप में 0.0216 हैक्टयर भूमि आती है, रास्ते में ली जाने वाली भूमि का बाजार मूल्य डी.एल.सी. रेट की दुगुनी राशि जो विपक्षी को देय है, प्रार्थी अदा करने को तैयार है।

मैंने प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस सुनी। पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया, प्रार्थी की आराजी नम्बर 155 रकबा 0.3288 हैक्टयर में आने जाने हेतु विपक्षी की आराजी नम्बर 165 में 30 फीट चौड़ाई में रास्ता दिलाया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार योग्य ठहरता है। अत एव

:: आदेश ::

प्रार्थी का आवेदन स्वीकार कर प्रार्थी की सरहद कुवार पटवार हल्का मोटा का खेडा भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र चिताम्बा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) में प्रार्थी के खातेदारी हक अधिकार की कृषि आराजियात जिसके आराजी के खाता 166 के आराजी नम्बर 155 रकबा 0.3288 हैक्टयर में आने जाने हेतु विपक्षी की आराजी नम्बर 165 में से 30 फीट चौड़ाई के रूप में कृषि कार्य हेतु आने जाने का रास्ता दिया जाना स्वीकार किया जाता है तथा


उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलेक्टर करेड़ा

इसी मति राजस्व संग्रह में पर्याप्त नगरी अनुसार रास्तु कायम करने की आज्ञा पारित की जाती है। कि शस्त्र के लिए आरक्षित की जाने वाली भूमि आशली नम्बर 165 इकवा 1.7462 हेक्टर में से 0.0216 हेक्टर भूमि जिसकी हेक्टर में संग्रह कर शस्त्र की भूमि की सी एल की वर से जो भूमा मूल्य प्राप्ति से वसूल कर विपक्षी को क्षतिपूर्ति हेतु अदा की जावे। इस विषय की पालना में तदधीनदार, करेडा को तदधीन जारी कर पालना सुनिश्चित करावी जावे।

सह आदेश आज दिनांक 17.11.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उप) श्री राजेश कर्ण
उपस्थान्त अधिकारी, तदधीन इलायक कलक्टर,
करेडा जिला बीलवाडा (राज०)

राज० आशली नम्बर 165 स 1 मलता 8 स हाकर रास्ता का उपवाग